


# जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

.....  
.....  
.....



## विषय : (जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन)

- 1) आवेदक का नाम .....
- 2) पिता/पति का नाम.....
- 3) वर्तमान पता – मो० ..... पो० .....  
थाना ..... जिला .....
- 4) स्थायी पता – ग्राम ..... पो० .....  
थाना ..... जिला .....
- 5) मैं जाति के ..... हूँ जो ..... उपजाति के अन्तर्गत आता/आती हूँ ।  
उपरोक्त के प्रमाण पत्र के लिए मैं निम्नांकित कागजात संलग्न कर रहा/रही हूँ :-
  - i) खतियान के प्रतिलिपि .....
  - ii) जमीन सम्बन्धी कागजात (जिसमें जाति का वर्णन हों )
  - iii) समाज या संस्था का प्रमाण पत्र
  - iv) अन्य .....(जिसमें जाति दर्ज हो)

घोषणा – मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है । इसमें किसी प्रकार की गलती पाए जाने पर मेरे  
उपर कानूनी कारवाई की जाए ।

नोट – आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करें तथा एक आवेदन पत्र के उपर चिपकावें तथा  
दूसरा प्रमाण पत्र के उपर चिपकावें ।

तिथि .....

आवेदक का हस्ताक्षर

जाँच प्रतिवेदन :

प्रमुख ;

- 1) मुखिया/सरपंच का मन्तव्य ..... (मुहर हस्ताक्षर के साथ)
- 2) समाज/निबंधित संस्था के सचिव या प्रधान का मन्तव्य .....
- 3) जन सेवक/पं० सेवक का मन्तव्य .....
- 4) प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी का अनुशंसा .....
- 5) अधिकारी का आदेश .....

# आदेश पत्रक

जाति प्रमाण पत्र अभिलेख संख्या ..... / 98.99

1	2	3
	<p>आवेदक .....पिता .....</p> <p>निवास, मो० .....पो० ..... थाना .....</p> <p>जिला – पूर्वी सिंहभूम का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन संबंधित पंचायत सेवक/जन सेवक एवं प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी के जॉच के साथ प्राप्त हुआ । आवेदक के द्वारा अपनी जाति संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया ।</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. राजस्व खतियान ।</li><li>2. निबन्धित संख्या/समान का प्रमाण पत्र मूल रूप में ।</li><li>3. प्र० वि० पदाधिकारी/अनु० पदा०/जिला पदाधिकारी ..... .....द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र सं० ..... का फोटो प्रति ।</li><li>4. नियन्त्री पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र ।</li><li>5. मुखिया/एम०एल०ए०/एम०पी० का अनुशंसा पत्र । संबंधित जनसेवक/प० से० एवं प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी ने आवेदक ..... को ..... जाति.....उपजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा किया है । अतः पं० सेवक/जन सेवक श्री.....एवं प्र० क० पदाधिकारी श्री ..... का जॉच के आधार पर आवेदक को ..... जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करें ।</li></ol> <p style="text-align: right;">प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी .....</p>	

\* \* \* \* \*

\* **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय** \*

\* सं० ..... जाति प्रमाण पत्र दिनांक .....

\* यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/सुपुत्री ..... को वर्तमान .....

\* पत्रालय ..... अंचल/प्रखण्ड ..... थाना .....

\* जिला पूर्वी सिंहभूम (झारखण्ड) के निवासी है तथा .....जाति के सदस्य है जो कार्मिक एवं  
प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार पटना के संकल्प संख्या 756 दिनांक 10-11-75 एवं पत्र संख्या 185  
दिनांक 29-12-1995 में उल्लेखित अनुसूचित जाति/जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है ।

\* यह प्रमाण पत्र श्री .....के जाँच प्रतिवेदन के आधार  
पर निर्गत किया गया है । (केवल शैक्षणिक संस्थाओं के लिए मान्य है)

यहाँ पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकावें	हस्ताक्षर ..... (पूरा नाम) पदनाम प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ..... कार्यालय का मुहर स्थान ..... तिथि .....
---	---

\* \* \* \* \*

नेट -यह जाति प्रमाण पत्र एक बार ही निर्गत किया जाएगा । अतः मौलिक प्रमाण पत्र किसी भी कार्यालय में जमा न करें ।

\* \* \* \* \*

\* **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय** \*

\* सं० ..... जाति प्रमाण पत्र दिनांक .....

\* यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/सुपुत्री ..... को वर्तमान .....

\* पत्रालय ..... अंचल/प्रखण्ड ..... थाना .....

\* जिला पूर्वी सिंहभूम (झारखण्ड) के निवासी है तथा .....जाति के सदस्य है जो कार्मिक एवं  
प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार पटना के संकल्प संख्या 756 दिनांक 10-11-75 एवं पत्र संख्या 185  
दिनांक 29-12-1995 में उल्लेखित अनुसूचित जाति/जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है ।

\* यह प्रमाण पत्र श्री .....के जाँच प्रतिवेदन के आधार  
पर निर्गत किया गया है । (केवल शैक्षणिक संस्थाओं के लिए मान्य है)

यहाँ पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकावें	हस्ताक्षर ..... (पूरा नाम) पदनाम प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ..... कार्यालय का मुहर स्थान ..... तिथि .....
---	---

\* \* \* \* \*

नेट -यह जाति प्रमाण पत्र एक बार ही निर्गत किया जाएगा । अतः मौलिक प्रमाण पत्र किसी भी कार्यालय में जमा न करें ।